**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या- 939**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर**

**एम्स, दिल्ली द्वारा कैंसर रोगियों को वापस भेजना**

**939. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जानकारी है कि दिल्ली एम्स में कैंसर के बाहर से आने वाले रोगियों को यह कहकर लौटाया जा रहा है क्योंकि उनकी बीमारी का पहले कहीं और इलाज चल रहा था;

(ख) क्या एम्स का इस तरह का व्यवहार मानवीय आधर पर उचित है;

(ग) क्या कैंसर के रोगी को प्राथमिक उपचार स्थानीय स्तर पर कराना अनुचित है; और

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली एम्स द्वारा भविष्य में ऐसे रोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार न हो इस हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) से (घ) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स), नई दिल्‍ली रोगियों का उपचार निरपेक्ष रूप से करता है भले ही उनका उपचार पहले कहीं और किया गया है अथवा नहीं। कई बार रोगियों को जिन्‍होंने पहले विकिरण उपचार कहीं और से लिया हो उन्‍हें विकिरण के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के कारण पुन: विकिरण उपचार नहीं दिया जाता है। ऐसा विशेषत: तब होता है जब विकिरण उपचार का पिछला ब्‍यौरा ठीक-ठीक उपलब्‍ध नहीं होता है।

\*\*\*\*\*